झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 1052 वर्ष 2020

दीपा कुमारी, उम्र लगभग 61 वर्ष, बैद्यनाथ डे की पुत्री, निवासी–आदर्श कॉलोनी, रामपू, डाकघर–मल्हारा, थाना–मोहनपुर, रामपुर, जिला–देवघर, झारखंड

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, कार्यालय–परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
2. जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–देवघर।
3. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार अधिकारी, मोहनपुर, कार्यालय–डाकघर और थाना–मोहनपुर, जिला–देवघर।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री अजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री वरूण प्रभाकर, अधिवक्ता

4 / 20.01.2021 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री वरूण प्रभाकर को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम

से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

वर्तमान रिट याचिका को 30.04.2019 को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त पश्चात स्वीकार्य लाभ के भुगतान के लिए दायर की गई है।

उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से प्रति शपथ पत्र दायर किया गया है जिसके अनुच्छेद संख्या 7 में यह कहा गया है कि सभी सहायक दस्तावेज के साथ वांछित दस्तावेज को ग्राहय् सेवानिवृत्त लाभ यथा अर्जित अवकाश नकदीकरण, समूह जीवन बीमा, भविष्य निधि, उपदान एवं पेंशन के भुगतान हेतु पहले ही अग्रेषित किया जा चुका है और भविष्य निधि, अर्जित अवकाश, समूह जीवन बीमा के भुगतान के लिए निर्देश पहले ही दिनांक 25.07.2019 के पत्र द्वारा जारी किया जा चुका है और सम तिथि के दो अन्य पत्र अनुबंध–ए/1, ए/2 और ए/3 में निहित है। प्रधान महालेखाकार (ए/ई) झारखंड के कार्यालय को पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए उचित आदेश/मंजूरी भी दी गई है, हालांकि, पेंशन को औपबंधिक रूप में तय करने के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा इस तथ्य के मद्देनजर वापस कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता आपराधिक मुकदमें का सामना कर रहा है।

प्रति शपथ पत्र में दिये कथन के परिप्रेक्ष्य में उत्तरदाता को इस निर्देश के साथ कि वह इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/उपस्थापित होने की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर

प्रति शपथ पत्र में स्वीकार्य बकाया का भुगतान करे और इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

याचिकाकर्ता बाकी शिकायतों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है यदि वह ऐसा चयन करता है।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)